न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 116/2016 (223 आरटीए) बंशीलाल वगै. बनाम पंकज वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00154)

1 बंशीलाल पुत्र श्री रेशमा,
2 मालाराम पुत्र श्री रेशमा,
3 गोरधनराम पुत्र श्री रेशमा,
4 आसूराम पुत्र श्री रेशमा,
जातियान विश्नोई, निवासीयान नेवा (कानासर) तहसील बाप जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 पंकज पुत्र श्री दिलीपचंद, जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
2 कमलादेवी पत्नी श्री दिलीपचंद,
3 किरण पुत्री दिलीपचंद,
4 ममता पुत्री दिलीपचंद
सभी जातियान जाट, निवासियान लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
5 प्रकाशचंद पुत्र श्री राजाराम जाति जाट (भादू), निवासी शनि मेंदिर के पास, सांगरिया जिला हनुमानगढ़।
6 मनीराम पुत्र श्री मेहरचंद जाति छीपा, निवासी वार्ड नं. 12 वेटेनरी हॉस्टल के पास, सांगरिया तहसील सांगरिया, जिला हनुमानगढ़।
बलूता पुत्र सिमरथा फौत के कायम मुकाम
7 बीरबल पुत्र बलुता,
भजना पुत्र बलूता फोत के कायम मुकाम,
8 मोहनराम पुत्र भजना,
9 शंकरलाल पुत्र भजना,
10 भागीरथ पुत्र भजना,
किशना पुत्र बलुता के कायम मुकामान
11 अनोपराम पुत्र किसना,
12 पपुराम पुत्र किसना,
13 जोरा पुत्र बलुता,

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हरचंद पुत्र सिमरथा फौत के कायम मुकामान

14 प्रतापराम पुत्र हरचंद,

15 गोमदराम पुत्र हरचंद,

16 सुखराम पुत्र हरचंद,

17 रतीराम पुत्र हरचंद,

18 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बाप जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 24.07.2014 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 469/2013

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बरकत खान।

2 रेस्पो. सं. 1 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

3 रेस्पो. सं. 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

4 रेस्पो. सं. 2 से 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 31.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बाप के राजस्व वाद सं. 469/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप के समक्ष धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 469/2013 पेश कर कथन किया कि ग्राम नेवा में खसरा नं. 807/2 रकबा 117 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नं. 117 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं. 834/2 रकबा 45 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 की खरीदशुदा की है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 5 का

31/8

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

1/2 हिस्सा है। यह भूमि पूर्व में खसरा सं. 807 रकबा 238 बीघा 4 बिस्वा व खसरा सं. 834 रकबा 107 बीघा 2 बिस्वा गोरधन पुत्र प्रहलाद 1/4 हिस्सा, बलुता हरंचद पि. सिमरथा 1/4 हिस्सा रेशमा पुत्र खींया 1/4 हिस्सा एवं बलुता पुत्र हरिकिशन 1/4 हिस्सा के नाम से दर्ज थी दिनांक 01.04.1980 को गोरधन पुत्र प्रहलाद के हिस्से की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 807 रकबा 238 बीघा 4 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा सं. 834 रकबा 107 बीघा 2 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 व3 के पिता दिलीपचंद ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 4 प्रकाश्चंद ने बलूता वल्द हरकिशन के हिस्से की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 807 रकबा 238 बीघा 4 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 834 रकबा 107 बीघा 2 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा प्रतिवादी सं. 5 मनीराम ने गोरधन पुत्र प्रहलाद एवं बलवंता पुत्र हरकिशन के 1/8–1/8 हिस्से की रकबा 86 बीघा 6 बिस्वा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जो कब्जा आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। जमाबंदी संवत 2048 से 2051, में जरिए नामांतरकरण सं. 165, 156, 173, 215, 263, 295, 296, 434, 456 के द्वारा अमल दरामद कर खसरा सं. 807 रकबा 117 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नं. 834 रकबा 45 बीघा 5 बिस्वा भूम में मनीराम पुत्र मेहरचंद छीपा 1/2 हिस्सा साकिन सांगरिया व दिलीपचंद पुत्र भीदरचंद प्रकाश पुत्र राजाराम 1/2 हिस्सा के नाम से सही अमल दरामद कर दिया, लेकिन अगली जमाबंदी संवत 2052 से 2055 तैयार करते समय खसरा व रकबा तो सही लिख दिया लेकिन खाता पूर्वतः गलत दर्ज कर दिया जिसे शुद्ध करवाने के वादी अधिकारी हैं। गोरधन पुत्र प्रहलाद 1/4 हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 ने 1/8 हिस्सा के रूप में क्रय कर ली थी बलुता पुत्र हरकिशन के बंट की 1/4 हिस्सा भूमि यानि रकबा 86 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने आधी–आधी क्रय कर ली थी। बलुता के देहांत के बाद उक्त भूमि बीरबल भजना किसना जोरा पि. बलवंता के नाम दर्ज की गई जिन्होंने अपना 1/8 हिस्सा रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा भूमि जगदीश पुत्र जोरा को बेचान कर दी। हरचंद के देहांत के पश्चात उसके बंट की 1/8 हिस्सा भूमि प्रतापराम गोमदराम सुखराम रतीराम पि. हरचंदराम के नाम दर्ज की गई जिन्होंने जरिए बंटवारा 1/8 हिस्सा यानि

रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा भूमि रतीराम पुत्र हरचंद को देदी जो उसके नाम खातेदारी में दर्ज है। रेशमा पुत्र खींया ने अपने बंट की 1/4 हिस्सा यानि 86 बीघा 6 बिस्वा भूमि दिनांक 24.04.1981 को सुगनी पुत्र लादूराम एवं तुलसी पुत्री धीमाराम को बेचान कर दी जिन्होंने आगे हरमेकसिंह वगै. व पोलसिंह वगै. को बेचान कर दी लेकिन राजस्व अधिकारियों की भूलि से वादग्रस्त खसरा नं. 807 रकबा 117 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा सं. 834/2 रकबा 45 बीघा 5 बिस्वा में बलुता हरचंद पि. सिमरथा एवं रेशना पुत्र खींया का नाम आज दिन तक गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसे दुरस्त करवाकर वादी एवं प्रतिवादी गण सं. 1 से 5 अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं प्रतिवादीगण सं. 6 से 20 ने दिनांक 17.04.202 को वादग्रस्त भूम का बेचान करने एवं ऋण लेने की धमकी दी तो वादी ने यह दावा पेश किया है अंत में वादी ने वादग्रस्त भूमि स्वयं एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 5 का 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने एवं राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 6 से 20 के दादा पिता का नाम हटाया जाने एवं प्रतिवादीगण सं. 6 से 20 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। वादी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण सं. 6 से 20 के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 से 5 का वकालतनामा अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने पेश किया। प्रतिवादी सं. 21 की ओर से पैरोकार सरकार ने जबाबदावा पेश किया जिसमें किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किए गए परंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को एक पक्षीय रूप से निर्णित करते हुए अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही केवल मात्र रेस्पो. सं. 1 के कथनों का विश्वास करते हुए अपने आलोच्य आदेश व निर्णय दिनांक 24.07.2014 को निर्णित कर वाद को डिक्री कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2014 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बरकत खान ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सारभूत तथ्यों व उससे परे जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर किसी प्रकार की साक्ष्य के बगैर पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। दिनांक 21.08.2012 की आदेशिका में प्रतिवादी सं. 6 से 20 तक का सम्मन तामील शुदा लौटा, जो शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 से 20 की ओर से वकील मोहनलाल मेघवाल की ओर से अण्डरटेकिंग दिए जाने का उल्लेख है। वास्तविकता तो यह है कि अपीलांट्स प्रतिवादी सं. 17 से 20 को रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद के नोटिस प्राप्त हुए तो मोहनलाल मेघवाल को वकील मुकर्रर करने व अंडरटेकिंग पेश करने हेतु निर्देश दिए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और न ही रेस्पो. सं. 1 द्वारा वाद की जानकारी अपीलांट्स को किसी किसी माध्यम से प्राप्त हुई। इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के सम्मन की सम्यक तामील हुए बिना ही अपीलांट्स के विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित करने व आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को खारिज करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स को उक्त विधि विरुद्ध तरीके से पारित किए गए एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2014 की जानकारी दिनांक 20.10.2016 को सर्वप्रथम हुई जब रेस्पो. सं. 1 मौके पर आया व कहा कि उक्त खसरान की कृषि भूमि की खातेदारी उसके नाम से इन्द्राज हो गई है, उस समय अपीलांट्स को कोई कागजात नहीं बताए तब पटवारी हल्का से म्यूटेशन की नकल प्राप्त की व निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता से संपर्क किया तथा दिनांक 24.10.2016 को नकल प्राप्त हुई जिस निर्णय व डिक्री को देखने पर प्रथम बार अपीलांट्स को यह जानकारी हुई कि उनको सुनवाई का अवसर दिए बिना ही मात्र कागजों में सम्मन जारी करवाने तथा तामील

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होने का मिथ्या कथन अंकित कर विधि विरुद्ध तरी से रेस्पो. सं. 1 ने अनुचित व गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा बंटवारा करवा लिया जिसकी जानकारी होने पर अपील पेश की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में जो देरी हुई है उसको माफ किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार करते हुए अपील को गुणावगुण पर स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पों सं. 1 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित होने के कारण उनकी ओर से कोई बहस के लिए उपस्थित नहीं अतः उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है।

6 रेस्पो. सं. 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस अपील में रेस्पोडेंट की ओर से धारा–5 के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं किया गया है तथा इस न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

इस प्रकरण में अपीलांट की ओर से अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि दिनांक 21.08.2012 की आदेशिका में प्रतिवादी सं. 6 से 20 तक का सम्मन तामील शुदा लौटा, जो शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 से 20 की ओर से वकील मोहनलाल मेघवाल की ओर से अण्डरटेकिंग दिए जाने का उल्लेख है। वास्तविकता तो यह है कि अपीलांट्स प्रतिवादी सं. 17 से 20 को रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद के नोटिस प्राप्त नहीं हुए तो मोहनलाल मेघवाल को वकील मुकर्रर करने व अंडरटेकिंग पेश करने हेतु निर्देश दिए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और न ही रेस्पो. सं. 1 द्वारा वाद की जानकारी अपीलांट्स को किसी किसी माध्यम से प्राप्त हुई। इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के सम्मन की सम्यक तामील हुए बिना ही अपीलांट्स के विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्यवाही का आदेश पारित करने व आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त आदेशिका व सम्मनों का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 21.08.2012 से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण सं. 6 से 20 के सम्मन तामीलशुदा लौटने पर उनकी ओर से वकील श्री मोहनलाल मेघवाल ने अंडरटेकिंग दी। इसकी पुष्ठि में आदेशिका के हासिए में वकील मोहनलाल मेघवाल के हस्ताक्षर व अण्डरटेकिंग का विवरण अंकित है। वकील श्री मोहनलाल मेघवाल को वकालतनामा पेश करने के अवसर दिए गए परंतु दिनांक 19.09.2013 को पत्रावली उपखण्ड अधिकारी बाप को स्थानांतरित कर दी गई। उसके पश्चात दिनांक 24.07.2014 को बहस सुनी जाकर निर्णय व डिक्री पारित करने का उल्लेख है। निर्णय दिनांक 24.07.2014 में अधीनस्थ न्यायालय ने उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण सं. 6 से 20 के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सं. 6 से 20 के सम्मन मोहनराम पुत्र भजना जाति विश्नोई को स्वयं तामील हुआ व शेष प्रतिवादीगण का भाई व भतीजे की हैसियत से मोहनराम पुत्र भजना ने उनके सम्मन प्राप्त किए हैं। उसके पश्चात प्रतिवादी सं. 6 से 20 की ओर से वकील मोहनलाल मेघवाल ने अधीनस्थ न्यायालय में अण्डरटेकिंग दी। लेकिन कई अवसर दिए जाने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं किया। अपीलांट का कथन है कि उनको सम्मन तामील नहीं हुआ व न उन्होंने श्री मोहनालाल मेघवाल को अधिवक्ता नियुक्त किया। इस प्रकरण में अधिवकता श्री मोहनलाल को वकालतनामा पेश करने के लिए 1 वर्ष का समय व 6 अवसर दिए गए फिर भी प्रतिवादी सं. 6 से 20 का वकालतनामा पेश नहीं किया। इससे यह प्रतीत होता है कि अधिवक्ता मोहनलाल को प्रतिवादी सं. 6 से 20 ने नियुक्त ही नहीं किया। सभी सम्मनों की तामील सिर्फ एक ही व्यक्ति को कराने से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 17 से 20 को सम्मन तामील नहीं हुए हैं। दिनांक 19.09.2013 को पत्रावली सहायक कलेक्टर फलोदी से नवसृजित न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप को स्थानांतरित की गई व पत्रावली में सहायक कलेक्टर बाप के यहां दर्ज होकर पक्षकारान को नोटिस जारी होने का उल्लेख है परंतु पत्रावली में किसी प्रकार के नोटिस जारी होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रकरण में अपीलांट को सम्यक तामील नहीं होना व सुनवाई का

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवसर नहीं दिया जाना पाया जाता है।

9 अपील का दूसरा आधार यह लिया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर किसी प्रकार की साक्ष्य के बगैर पारित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी की साक्ष्य नहीं ली गई है न ही दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया है। पत्रावली में सीधे ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में साक्ष्य नहीं लेने तथा सीधे ही बहस सुने जाने का कारण भी अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में प्रक्रियात्मक त्रुटि पाई जाती है। इस बिंदु पर अपीलांट के अधिवकता के कथन से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2014 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट का जबाबदावा लिया जाकर व तनकीयात कायम किए जावें तथा उभय पक्षकारान की साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः निर्णय एवं डिक्री पारित किये जावें।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर